अति महत्वपूर्ण
विकास–सह–
राजस्व गोष्ठी

समाहरणालय, किशनगंज

(जिला विकास प्रशाखा)

–:: आदेश ::–

जिले में विकास की कई योजनाएँ संप्रति परिचालित है,किन्तु धरातल पर उनके वास्तविक कार्यान्वयन की समीक्षा के अभाव में प्रगति के परिशुद्ध ऑकड़ें उपलब्ध नहीं हो पा रहे है । प्रगति के मानक निर्दिष्ट है तथा कतिपय योजनाओं में इसी आधार पर राशि की विमुक्ति के प्रावधान भी किये गये है ।

पंचायत / गॉव के स्थायी एवं समावेशी बहुआयामी विकास के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि आम जन नागरिक को विभिन्न कार्यक्रमों यथा **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,इंदिरा आवास योजना,संपूर्ण स्वच्छता अभियान,पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,13वीं/चतुर्थ वित्त आयोग/ समेकित बाल विकास परियोजना** इत्यादि के अंतर्गत उनके अधिकारों एवं पात्रताओं के निमित्त इनकी प्राप्ति की प्रक्रिया से अवगत कराया जाय ।

इसी उद्देश्य से निम्नांकित तालिका के अनुसार प्रखंडों में **विकास–सह–राजस्व गोष्ठी** आयोजन के कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है :–

क0	प्रखंड का नाम	**विकास–सह– राजस्व गोष्ठी** का स्थान	समय एवं तिथि
1	2	3	4
1	टेढ़ागाछ	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/23.08.13**
2	किशनगंज	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/24.08.13**
3	कोचाधामन	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/30.08.13**
4	ठाकुरगंज	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/31.08.13**
5	बहादुरगंज	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/06.09.13**
6	दिघलबैंक	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/07.09.13**
7	पोठिया	प्रखंड कार्यालय का सभागार	**10.00 पूर्वा0/13.09.13**

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए संबंधित **प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी/ कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा आपस में समन्वय कर** प्रखंड मुख्यालय के **निर्दिष्ट सभागार अथवा जहाँ स्थान उपलब्ध हो** में इस गोष्ठी की संपूर्ण व्यवस्था निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व करना सुनिश्चित करेंगें । उनका यह भी दायित्व होगा कि अपने कार्य क्षेत्र से **संबंधित सभी पर्यवेक्षक तथा क्षेत्रीय कर्मियों को मुख्यालय में उपस्थित रखेंगें ।** इस गोष्ठी का समय दो घंटे का होगा ।

इस **विकास –सह–राजस्व गोष्ठी** में विकास एवं राजस्व से संबंधित येाजनाओं/कार्यो की समीक्षा के साथ–साथ शिक्षा,स्वास्थ्य,पेयजल,आपूर्ति के साथ–साथ अन्य सामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा । इस गोष्ठी में स्थानीय जन प्रतिनिधियों यथा–**जिला पार्षद,मुखिया,पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों को अपने स्तर से आमंत्रित करना सुनिश्चित करें ।**

१

प्रखंड के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता गोष्ठी की तिथि के पूर्व प्राथमिकता के आधार तक ऐसे पंचायतों को चिन्हित कर लेगें जहाँ भूमि के अभाव में **विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र/अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र** का निर्माण नहीं हो पा रहा है । उनके द्वारा चिन्हित पंचायतों में से किसी एक पंचायत का परिभ्रमण किया जायेगा तथा वहाँ चल रही सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी । इसी क्रम में पंचायत के वार्डो में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भूमि की उपलब्धता तथा पंचायत में स्वीकृत विद्यालय भवन एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र/अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र के भूमि की उपलब्धता के लिए लोक संपर्क किया जायेगा ।

sd/-

(आदित्य कुमार दास)
जिला पदाधिकारी
किशनगंज ।

ज्ञापांक 517 /जि0वि0,दिनांक 12/08/2013

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी,मनरेगा/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: सभी प्रभारी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी,किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी,किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: अपर समाहर्त्ता,जिला राजस्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(आदित्य कुमार दास)
जिला पदाधिकारी
किशनगंज ।